

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मोत्रो राजस्व मंडल सर्विट कोर्ट रोपा मोत्रो।



- 1- मो० सुऐत खान वल्ल स्व० शहीद खान,
  - 2- क्यांचुलनिशा मुत्री स्व० शहीद खान,
  - 3- जाहदा बेगम मुत्री स्व० शहीद खान,
  - 4- शाहरा बेगम मुत्री स्व० शहीद खान,
- सभी निवासी बिछिया रोपा तहसील हुँगर जिला रोपा मोत्रो
- निगरानी कर्ता गवर्नरेस्पाठ गण।

#### खाम

- 1- छेरनिनशा वल्ली स्व० मो० नशीरद्दीन निवा सी बोर्ड कॉलोनी श्यामगर हबीबगंज थाना के पास भोपाल ब्लाक नं० 14 मकान नं० 7 भोपाल मोत्रो।
  - 2- रियांचुद्दीन खान तनय स्व० मो० नशीरद्दीन निवासी बिछिया रोपा तहसील हुँगर जिला रोपा मोत्रो।
  - 3- एणांचुद्दीन तनय स्व० मो० नशीरद्दीन,
  - 4- सोफ्युनिशा वल्ली स्व० फहीमुद्दीन,
  - 5- अस खान तनय स्व० फहीनुद्दीन,
  - 6- अन्तार खान तनय स्व० फहीमुद्दीन
- सभी निवासीगण बोर्ड कॉलोनी श्यामगर हबीबगंज थाना के पास भोपाल ब्लाक नं० 14 मकान नं० 7 भोपाल मोत्रो
- गैर निगरानी कर्ता / अपीलार्थीगण।
- 7- दाबझु उर्फ सुरहया मुत्री स्व० नशीरद्दीन निवासी ग्राम सोहा वल जिला सत्ता मोत्रो।
  - 8- जियाउद्दीन तनय स्व० नशीरद्दीन फौतू
  - 9- आबदीन तनय स्व० जियाउद्दीन,
  - 10- हफीचुद्दीन तनय स्व० जियाउद्दीन,
  - 11- इमामुद्दीन तनय स्व० जियाउद्दीन,
  - 12- फिरोज तनय स्व० जियाउद्दीन,
- सभी निवासी मोहल्ला बिछिया तहसील हुँगर जिला रोपा मोत्रो
- 13- आयुसुन मुत्री स्व० नशीरद्दीन निवासी जहाँगीरालाद भोपाल मोत्रो।
  - 14- नसीमुद्दीन खान तनय स्व० नशीरद्दीन फौतू

:: 2 ::

- 15- सलमा बेगम पत्नी स्व० नसीहुदीन खान,  
16- रहमान मुत्री स्व० नसीहुदीन खान,  
17- अफ़ग़ल मुत्री स्व० नसीहुदीन खान,  
18- निवहत मुत्री स्व० नसीहुदीन खान,  
19- आमिर खान मुत्री स्व० नसीहुदीन खान,  
20- मजहर खान मुत्री स्व० नसीहुदीन खान,  
21- जीनत खान मुत्री स्व० नसीहुदीन खान,  
22- रचसत खान नाबालिंग मुत्री स्व० नसीहुदीन खान बली सरपरस्त माँ सलमा  
बेगम पत्नी स्व० नसीहुदीन खान  
----- सभी निवासी गण मोहल्ला बिहिया तहसील हुँसूर जिला रोपा  
मोप्र० ।  
23- नूरन खी मुत्री अब्दुल्ला खान,  
24- रहमतुन्नशा पत्नी स्व० मो० सफी,  
25- जलाहुदीन तनय मो० स खीर खान,  
----- सभी निवासी गण मोहल्ला बिहिया तहसील हुँसूर जिला -  
रोपा मोप्र० ।  
26- शासन मोप्र० ----- गैर निगरानी कर्तारिण/रेस्पाठगण।

निगरानी विरह आदेश दिनांक 05-03-2018  
प्र०ग्र०- 07/36/10-11 छेरीन्नशा वगैरह बनाम  
शहीद खान वगैरह, न्यायालय श्रीमान नवूल अधि-  
कारी रोपा मोप्र० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र०भूरा०खंहिता  
1959 ई० ।

मान्यधर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है :-

- 1- वह कि अवीनस्थ न्या यात्य द्वारा पारित आदेश दिन 5-03-2018  
विधि एवं विधान के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है,  
काबित निरस्तगी के है ।

(२७)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूसा/18/02502

मो.सुएब खान बनाम खैरनिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-18 रीवा कैम्प	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को सुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>✓</i></p>	<p>मो/2016/118</p> <p>सदस्य</p>